



डीजल लोको शेड, इटारसी

रेल कौशल विकास योजना
(प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)



मंडल प्रशिक्षण केंद्र/यां.(डीजल)/प.म.रे., इटारसी में "रेल कौशल विकास योजना" के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत फिटर ट्रेड में वर्ष 2021-22 हेतु प्रथम बैच (दिनांक 13.09.2021 से 04.10.2021) की अधिसूचना।

रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य, देश का हर युवा बने विशेष

रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार, डीजल लोको शेड, इटारसी के मंडल प्रशिक्षण केंद्र/यां.(डी)/प.म.रे./इटारसी में स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित करने के लिए लघु अवधि 03 सप्ताह के लिए रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिटर ट्रेड में प्रति बैच 24 नवयुवकों/नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है।

पात्रता : (1) हाई स्कूल (10 वीं) उत्तीर्ण (2) आयु: 18 – 35 वर्ष

इच्छुक अभ्यर्थी जो उपरोक्त पात्रता को पूर्ण करते हो, दिए गये प्रोफार्मा पर अपना आवेदन कर सकते है। इस प्रोफार्मा को डीजल लोको शेड इटारसी के मंडल प्रशिक्षण केंद्र/यां.(डी)/प.म.रे./इटारसी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। आवेदन में अपना पूरा नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई.डी. अवश्य अंकित करें। आवेदन के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण का अंक पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा अंक पत्र के साथ प्रमाण पत्र) एवं पहचान हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राशन कार्ड में से किसी एक की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को कोविड वैक्सीन का प्रथम तथा द्वितीय डोज अनिवार्य है।

उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदकों का चयन उनके हाई स्कूल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है एवं इस प्रशिक्षण के तहत रेलवे भविष्य में किसी भी प्रकार की नौकरी या अन्य कोई लाभ देने की जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन दिनांक 04.09.2021 सायं 03.00 बजे तक डीजल लोको शेड इटारसी के मंडल प्रशिक्षण केंद्र/यां.(डी)/प.म.रे./इटारसी के कार्यालय में जमा करा सकते है। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची डीजल लोको शेड, इटारसी के सूचना पट पर चप्पा की जाएगी जिसमें प्रशिक्षण आरंभ होने से सम्बंधित जानकारी भी दी जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाईस्कूल में समान प्राप्तांक होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन किया जायेगा। सीट आवंटन, बैच आवंटन एवं प्रशिक्षण से संबंधित अन्य मामलों में रेलवे के सभी अधिकार सुरक्षित है।



डीजल लोको शेड, इटावसी

रेल कौशल विकास योजना
(प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)



कार्यक्रम के अंतर्गत " फिटर " ट्रेड में वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पिता/पति का व्यवसाय	
4.	जन्म तिथि तथा आयु	
5.	शैक्षणिक योग्यता (10 वीं में प्रतिशत या CGPA)	
6.	स्थायी/अस्थायी पता	
7.	मोबाइल नं. तथा ईमेल	
8.	जाति	
9.	आधार कार्ड नंबर	

नवीनतम पासपोर्ट
साइज़ फोटो

संलग्नक:

- (1) पहचान पत्र :- आधार कार्ड/ वोटर आई.डी/ ड्राइविंग लाइसेंस।
- (2) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- (3) जन्मतिथि प्रमाण पत्र/ दसवीं की अंकसूची।
- (4) निवास सत्यापन दस्तावेज।
- (5) कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र।
- (6) 02 पासपोर्ट साइज़ फोटो
- (7) औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु फिटनेस का रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा प्रदत्त (दृष्टि क्षमता, श्रवण क्षमता, मानसिक तथा संक्रामक रोग से मुक्त) प्रमाण पत्र

घोषणा:

1. इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है एवं इस प्रशिक्षण के तहत रेलवे भविष्य में किसी भी प्रकार की नौकरी या अन्य कोई लाभ देने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है।
2. अभ्यर्थी किसी भी तकनीकी विषय में आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री धारी इस प्रशिक्षण के पात्र नहीं होंगे।
3. अभ्यर्थी को सुबह 08:00 से 16:00 बजे तक कार्यस्थल में रहना आवश्यक है एवं पूरे प्रशिक्षण अवधि के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति कम होने पर प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है।
4. प्रशिक्षण उपरांत ली गई परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है, 60% से कम अंक आने पर प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. ऑन जॉब प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना/चोटिल होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

दिनांक -----

स्थान -----

आवेदक के हस्ताक्षर